प्रपत्र संख्या 1.5

बरसात में पहाडी नदी से जो बजरी, बोल्डर, रेता/मोरम आदि उपखनिज बह कर आता है वह नदी की तलहटी में जमा हो जात है जिसकी निकासी न होने के कारण नदी की धारा का रूख परिवर्तित हो जाता है तथा आस पास स्थित आवादी को खतरा उत्तन्न होने की आशंका होती है यदि इन क्षेत्र में उपखनिज की निकासी नही की जाती है तो क्षेत्र के तलहटी में निरन्तर उपखनिज जमा हो जाने के कारण नदी की धारा का रूख बदलने और नदी के किनारे में स्थित आवादी के क्षेत्रों को बाढ से प्रभावित होने की आशंका रहेगी। अतः नदी के किनारे के भू–रक्षण एवं जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की दिशा मे नदी के तलहटी मे जमा उपखनिज की निकासी किया जाना प्राविधक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

उप खनिज प्राकृतिक कारणों से नदी की तलहटी में एकत्रित होता है जो कि वन विभाग में है। अतः इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर चुगान कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तरांचल वन विकास निगम
खनन प्रभाग, देहरादून